कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 3722 / सां.लि / कोरोना / 2020 कवर्धा, दिनांक 29 / 05 / 2020

दिनांक 18.05.2020 से 31.05.2020 की अवधि में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू किया गया था। जिले में छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति मिलने के पश्चात आगामी तीन माह की अवधि दिनांक 17.08.2020 तक संपूर्ण जिले में धारा–144 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरंतर रूप से प्रभावशील कर दी गयी है। चौथे चरण के लॉकडाउन समाप्ति उपरांत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दुकानें / संस्थायें / प्रतिष्ठान / सेवाओं को आर्थिक गतिविधि के संचालन की अनुमति दी गई है, जिसके परिपालन में मई माह के अंतिम शनिवार–रविवार को होने वाले पूर्ण लॉकडाउन को निरस्त करते हुए सभी दुकानें / संस्थायें / प्रतिष्ठान / सेवाओं को जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, उनके संचालन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन **सप्ताह के छः दिन प्रातः 08:00 बजे से सांय 06:00 बजे** तक खुली रहेंगी।

1. दुकानों / संस्थायें / प्रतिष्ठान / सेवाओं को वर्तमान में जारी समय–सीमा और सप्ताहिक अवकाश का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. बहुत घने बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय निकाय के स्तर से, पुलिस विभाग की मदद से व्यवस्थायें सुनिश्चित की जावे।
3. सड़क किनारे सामान बेचने वालों के लिए स्थानीय निकायों द्वारा स्थान और समय का निर्धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. स्वच्छता एवं सोशल–फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग करना एवं कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. Non-Vending Zone में किसी तरह का व्यापार–व्यवसाय की अनुमति नहीं होगी।
6. चलित ठेला से व्यवसाय हेतु 02 ठेलो के मध्य कम से कम 20 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
7. सभी व्यवसाय निर्धारित अवधि में खुलेंगी व बंद होगी।

उक्त किसी भी कण्डिका का उल्लंघन होने पर दुकान / प्रतिष्ठान / संस्थान / सेवाओं के विरूद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

पृ.क्रमांक / 3723 / सां.लि / कोरोना / 2020 कवर्धा, दिनांक 29 / 05 / 2020

प्रतिलिपि –

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner

4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वनमण्डलाधिकारी, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्रम पदाधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सर्व जनपद पंचायत.............................. कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. तहसीलदार सर्व...जिला कबीरधाम को सूचनार्थ। कोटवारो के माध्यम से मुनादी भी करायें।
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व संबंधित श्री .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

27/3/2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

Scanned with CamScanner